14

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक : दो-निगरानी/सीहोर/भू.रा./2017/1655 - विरूद्ध आदेश दिनांक 19-5-2017 - पारित द्वारा - नायव तहसीलदार, आष्टा जिला सीहोर - प्रकरण 3 अ-13/2016-17

1 मांगीलाल पुत्र स्व.शेर सिंह
2- सजन सिंह 3- चन्दर सिंह 4- कमल सिंह
तीनों पुत्रगण मांगीलाल
5- श्रीमती मूलियावाई पत्नि मांगीलाल
सभी ग्राम छापर तहसील आष्टा
जिला सीहोर मध्य प्रदेश
----आवेदकगण

विरूद्ध

1- राम सिंह 2- अमर सिंह 3- चन्दर सिंह
तीनों पुत्रगण स्व. भागीरथ सिंह
4- श्रीमती राजलवाई पत्नि स्व.भागीरथ सिंह
सभी ग्राम छापर तहसील आष्टा
जिला सीहोर मध्य प्रदेश
----अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री सी.एम.विश्वकर्मा)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री प्रेम सिंह ठाकुर)

आ दे श

(आज दिनांक 6-03-2018 को पारित)

यह निगरानी नायव तहसीलदार, आष्टा जिला सीहोर के प्रकरण 3 अ-13/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 19-5-2017 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदकगण ने नायव तहसीलदार आष्टा को आवेदन देकर बताया कि उनके स्वामित्व की भूमि खसरा नंबर 67/2 रकबा 1.473 है. ग्राम केलापनी में स्थित है जिसमें आने जाने का रास्ता आवेदकगण की भूमि सर्व्रे नंबर 68/2, 69/1 व 69/2 से होकर था जिसको उन्होंने हॉक जोतकर अवरूद्ध कर दिया है इसलिये रास्ता खुलवाया जावे। नायव

तहसीलदार ने प्रकरण क्रमांक 3 अ-13/16-17 पॅजीबद्व किया तथा स्थल की जांच कराकर पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुये अंतरिम आदेश दिनांक 19-5-17 पारित किया तथा प्रारंभिक तौर पर रूढ़िगत रास्ता पाये जाने से प्रकरण के अंतिम निराकरण तक रास्ते से अवरोध हटाने के निर्देश दिये । नायव तहसीलदार आष्टा के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि नायव तहसीलदार ने राजस्व अभिलेखों का अवलोकन नहीं किया है क्योंकि राजस्व अभिलेख में कोई रास्ता अंकित नहीं है और न ही मौके पर रूढ़िगत रास्ता है। यदि अनावेदकगण को व्यर्थ में रूढ़िगत रास्ता मानकर आने-जाने का मार्ग प्रदान किया जाता है तब आवेदकगण की काफी भूमि पड़त हो जावेगी एंव उस भूमि में वह फसल भी नहीं बो सकेंगे जिससे आर्थिक नुकसान होगा। आवेदकगण की भूमि पर पिछले 23 वर्षो से तार फेंसिंग है इसीसे प्रमाणित है कि कोई रास्ता नहीं है जिसके कारण नायव तहसीलदार का अंतरिम आदेश दिनांक 19-5-17 त्रृटिपूर्ण है जिसे निरस्त किया जावे।

अनावेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि अनावेदकगण की भूमि आवेदकगण की भूमि के पीछे स्थित है जिसमें से गुजकर एंव हल-बखर व कृषि औजार ले जाते रहे हैं किन्तु आवेदकगण ने रास्ते की सुखाचार वाली भूमि जबरन हॉक जोत दी, जिससे रास्ता अवरूद्व हुआ है राजस्व निरीक्षक एंव पटवारी ने मौके की सही स्थिति बताई है। उन्होंने नायव तहसीलदार के आदेश को सही बताते हुये निगरानी निरस्त करने की मांग रखी।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव नायव तहसीलदार के प्रकरण क्रमांक 3 अ-13/16-17 के अवलोकन से पाया गया कि नायव तहसीलदार के प्रकरण में राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत मोके का प्रतिवेदन संलग्न है । प्रतिवेदन में अंकित अनुसार राजलवाई पत्नि भागीरथ के नाम सर्वे नंबर 67/2 रकबा 473 है. भूमि है जिस पर मौके पर कदीमान रूढ़िगत रास्ता कृषि भूमि हांकने, जोतने, गाड़ी बैल लान ले जाने के लिये भूमि ख. नं. 68/2 रकबा 0.588 हैक्टर में पूर्व से रास्ता रहा है जिसमें सजन सिंह

चन्दर सिंह रूमाल सिंह पुत्रगण मांगीलाल ने प्लाउ करवाकर रूढ़िगत रास्ते को बंद करना पाया गया है ग्राम के पंचों ने भी रास्ता होना बताया है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 131 में प्रावधान है कि धारा 242 के अधीन तैयार किए गए ग्राम के बाजिव-उल-अर्ज में अभिलिखित न होकर अन्यथा किस मार्ग के व्दारा कृषक भूमि पर पहुंचेगा या इस बारे में कि वह किस श्रोत से या किस जलसरणी से अपने लिये जल प्राप्त कर सकेगा, कोई विवाद उदभूत होने की दशा में तहसीलदार स्थानीय जांच करने के पश्चात उस मामले को प्रत्येक मामले विषयक पूर्व रूढ़ि के प्रति निर्देश करके तथा समस्त सम्बन्धित पक्षकारों की सुविधा का सम्यक ध्यान रखते हुये, विनिश्चय करेगा। जब मौके पर पंचान व्दारा रूढ़िगत रास्ता होना तस्दीक किया है तथा राजस्व निरीक्षक ने मौके पर जांच में रूढ़िगत रास्ता होना पाया है तदाशय के प्रतिवेदन के आधार पर कृषि कार्य के लिये अनावेदकगण के आवाममन की सुविधा को ध्यान में रखकर नायव तहसीलदार, आष्टा ने अंतरिम आदेश दिनांक 19-5-2017 पारित करके वैकल्पिक व्यवस्था की है तथा पक्षकारों की सुनवाई के लिये आगामी तिथि 6-6-17 नियत की है जिसमें किसी प्रकार की त्रृटि परिलक्षित नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव नायव तहसीलदार, आष्टा जिला सीहोर व्दारा प्रकरण 3 अ-13/ 2016-17 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 19-5-2017 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर